



# हिलव्यू समाचार

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746



hillviewsamachar@gmail.com



410, मनीराम जी की कोठी, हिल्डियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश में मनीराम जी की कोठी सहित 143 अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहा नगर निगम हैरिटेज जयपुर

ख़बर-बख़बर

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) चौड़ा रास्ता जयपुर अवैध निर्माणों का प्रतिनिधि बना



मेयर मुनेश गुर्जर, हेरीटेज



मानसरोवर और मालवीय नगर लगातार अवैध निर्माणों की चपेट में



राजधानी में राज है बस अब नु-गांधीवाजी और अतिक्रमणकारियों का

### चर्चा है कि एक विधायक व एक मंत्री का भी इसमें सक्रिय योगदान है आगामी अंकों में होगा नाम उजागर...

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने पैनल कमेटी एडवोकेट नैना सराफ, एडवोकेट महेंद्र शाह, एडवोकेट अनिता अग्रवाल, एडवोकेट लक्ष्मीकांत, एडवोकेट अनिल मेहता AAG, एडवोकेट एसएस शर्मा, एडवोकेट महेश गुप्ता व एडवोकेट मधुसूदन शर्मा के तहत इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश हेरिटेज नगर निगम जयपुर को प्रदान किये। इसी के साथ यह भी

## राजधानी के इस अवैध निर्माण के जंगलराज का असली राजा कौन?

जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) में अब अवैध निर्माण पाँचवीं गजिल हो चुका है लेकिन हेरिटेज नगर निगम के आँख, नाक, कान बंद हैं, कार्यवाही के हाथ भी बंधे हैं....तयों ?



अवैध निर्माण...जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) चौड़ा रास्ता, परकोटा, जयपुर

यहाँ बढ़ते-चढ़ते यह अवैध निर्माण, यहाँ के निवासियों का सुख-चैन तो छिन ही रहे हैं और तो और समूचा शहर भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों के नापाक इरादों की भेंट चढ़ रहा है। इन रिहायशी और पॉश

कॉलोनियों में से गुजरना मुश्किल हो गया है। गली-गली में बाजार और वाहनों का जमावड़ा तो बढ़ ही गया है साथ ही बढ़ गया है घर से दुकान में तब्दील होते भवनों का अतिक्रमण। बहुमंजिला भवन बिना निगम अनुमति के सर उठा रहे हैं। प्रशासन और राजनीति के बड़े दिग्गजों का हाथ और साथ पूरे जोर-शोर से सहयोग कर रहा है। जहाँ एक ओर रेवेन्यू का सबसे बड़ा भाग भवन निर्माण, नियमितिकरण आदि से आता है वहीं एक ओर निगम के नाक के नीचे सारे काम अवैधता के साथ हो रहे हैं। राजधानी में इस अवैध निर्माण के जंगल राज का राजा कौन है यह किसी से छुपा नहीं। बिना किसी बड़ी पावर और प्रशासनिक राजनैतिक अर्नाल अवैध सहयोग के यह अवैध निर्माण कभी सम्भव नहीं हो सकते। प्रशासन और शासन की लिमिता शहर की शांति को लगातार ग्रहण लगा रही है।

### हिलव्यू समाचार

जयपुर। मनीराम जी की कोठी सहित 143 आवासीय भवनों में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों अवैध निर्माण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने ध्वस्तीकरण का आदेश 18 सितंबर 2019 को पारित किया। जिसमें तीन सूचियों में इन 143 अवैध भवनों के नाम पते सहित नगर निगम हेरिटेज जयपुर को ध्वस्त करने हेतु पाबंद भी किया गया किंतु पिछले 2 साल 6 माह से उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की अवमानना नगर निगम हेरिटेज जयपुर लगातार कर रहा है।

ऐसी क्या वजह है कि इस पर अब तक कोई क्रिया-प्रतिक्रिया हेरिटेज नगर निगम जयपुर की ओर से होती नहीं दिखाई पड़ती? नगर निगम हेरिटेज के तात्कालीन आयुक्त विजयपालसिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय को ध्वस्तीकरण हेतु शपथ-पत्र भी दिया था कि



अगले अंक में ध्वस्तीकरण हेतु अंकित 143 भवनों की सूची भी जारी की जाएगी। जिसमें लिखित है कि 3 माह में पृथक 19 अवैध कॉम्प्लेक्सों की सूची, उसके अगले 3 माह में द्वितीय 12 अवैध कॉम्प्लेक्सों की सूची व उसके अगले 3 माह में अर्थात् आदेश के 6 माह पश्चात अंतिम 112 अवैध कॉम्प्लेक्सों की सूची होगी। वर्तमान में यह सभी भवन किशनपोल ज़ोन नगर निगम हेरिटेज की सीमा में आते हैं।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 3-3 माह यानि कुल एक वर्ष में आदेशित अवैध कॉम्प्लेक्सों को ध्वस्त कर दिया जाएगा किंतु आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार की विभिन्न अधिसूचना व परिपत्रों के आधार पर यह निर्देशित है कि रिहायशी क्षेत्रों व भवनों में व्यवसायिक

गतिविधियों व अवैध निर्माण सम्भव नहीं है किंतु लगातार परकोटा क्षेत्र जयपुर में अवैध निर्माण हो रहे हैं और आवासीय भवनों में लगातार व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। धीरे-धीरे यह आवासीय क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्रों में तब्दील हो गए हैं। बहुमंजिला इमारतें, कॉम्प्लेक्स, लगातार होते अवैध निर्माण, यूनेस्को के नियम विरुद्ध अवैध

निर्माण कार्य लगातार प्रशासन को धता दिखा रहे हैं। डीएलबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 15 318/2013 सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के माध्यम से एडवोकेट शोभित तिवारी, एडवोकेट विमल चौधरी, एडवोकेट योगेश टेलर की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए चीफ जस्टिस प्रकाश गुप्ता

### एक मार्च से शुरू होगा स्वच्छ सर्वेक्षण

## जयपुर मेयर ने तैयारियों के लिए बुलाई बैठक में ही नहीं आए आयुक्त, सर्वे में टॉप रैंक लाने का टारगेट

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यशमिंत्र सिंह के बीच शुरु हुआ विवाद अब भी बरकरार है। जयपुर में 1 मार्च से शुरु होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के लिए मेयर ने आज बुलाई एक बैठक से आयुक्त ने खुद को दूर रखा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इस सर्वेक्षण में मेयर ने जो शहर को टॉप सिटी में लाने की बात कही है वह पूरी हो पाएगी या नहीं? क्योंकि किसी भी योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का

### हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यशमिंत्र सिंह के बीच शुरु हुआ विवाद अब भी बरकरार है। जयपुर में 1 मार्च से शुरु होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के लिए मेयर ने आज बुलाई एक बैठक से आयुक्त ने खुद को दूर रखा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इस सर्वेक्षण में मेयर ने जो शहर को टॉप सिटी में लाने की बात कही है वह पूरी हो पाएगी या नहीं? क्योंकि किसी भी योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का

काम अधिकारियों का ही होता है। 1 मार्च से शुरू होने वाला यह सर्वेक्षण 28 मार्च तक चलेगा। महापौर सौम्या गुर्जर ने आज निगम मुख्यालय के सभासद भवन में निगम अधिकारियों, कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर को कैसे टॉप रैंक पर लाया जाये इसको लेकर चर्चा की। इसके लिए मेयर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को पूरा फोकस शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी-अधिकारी के क्षेत्र में बेहतर सफाई रहेगी उसे

इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों को आमजन से स्वच्छ सर्वेक्षण में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए जागरूक करने के भी निर्देश दिए। पहले स्थान पर लाना हमारे लिए चुनौती: बैठक में मौजूद उपमहापौर पुनीत कर्णावत ने कहा कि पिछले साल हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर को 36वां स्थान मिला था। इस बार हमें सर्वश्रेष्ठ रैंक लानी है जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बार जयपुर में दो नगर निगम भी हैं, जहाँ ये सर्वे करवाया जा रहा है।

## नकल गिरोह की संपत्ति सीज और 10 साल की सजा

10 करोड़ तक का जुर्माना, नकल की तो अवैधों को भी 3 साल तक की जेल

हिलव्यू समाचार जयपुर। रीट में पेश लीक के बाद हुए विवाद के बीच राजस्थान सरकार नकल रोकने का बिल लाई है। बिल में पेश लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। नकल रोकने का बिल गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस बिल को विधानसभा में रखा। इसके बाद 15 दिन में यह बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद से नकल पर सख्त कानून तय हो जाएगा। इस बिल में पेश लीक और नकल गिरोह को संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का प्रावधान किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक गिरोह के खिलाफ इस

बिल में कड़े प्रावधान किए हैं। प्रापर्टी जब्त कर कुर्क किया जाएगा: नकल और पेपर लीक गिरोह में शामिल हर व्यक्ति को दोषी होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। नकल गिरोह में शामिल हर व्यक्ति पर कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा। यह जुर्माना 10 करोड़ तक का हो सकेगा। पेपर लीक और नकल से कमाई गई संपत्ति के आधार पर जुर्माना बढ़ भी सकता है। प्रापर्टी जब्त कर उसे कुर्क किया जाएगा। नकल की तो 1 लाख तक जुर्माना: किसी भी परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। परीक्षाओं अगर नकल गिरोह का सदस्य है तो उसकी सजा और जुर्माना भी गिरोह के बाकी लोगों की तरह ही होगी। नकल करते पकड़े जाने पर दो साल तक किसी तरह की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगा। स्कूल-कॉलेज से लेकर हर तरह की परीक्षाओं में नकल करने पर दो साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान होगा। अभी भी नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान हैं, लेकिन अब प्रावधान और कड़े किए जा रहे हैं।

## नोटिस भी अब साधारण डाक की बजाय मिलेंगे स्पीड पोस्ट से विशेष अदालतों से होगा सूचना आयोग के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण

राजस्थान राज्य सूचना आयोग भवन में बनी अतिरिक्त कोर्ट मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के भवन में चार कोर्ट रूम बने हुए हैं। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा चार सूचना आयुक्तों की कोठों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में एक अतिरिक्त कोर्ट रूम के निर्माण की आवश्यकता होने के कारण आयोग द्वारा द्वितीय मंजिल पर कोर्ट रूम निर्माण का कार्य अप्रैल माह से करवाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इससे प्रकरणों के निस्तारण में और भी तेजी आयेगी। निगम हेरिटेज तथा ग्रेटर से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए तीसरी बार विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग में प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष अदालत का आयोजन कर नगर निगम हेरिटेज तथा ग्रेटर से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए तीसरी बार विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है।



राजस्थान राज्य सूचना आयोग भवन में बनी अतिरिक्त कोर्ट











## विधान सभा का आईओएस मोबाइल एप लॉन्च



### हिलव्यू समाचार

**जयपुर।** राजस्थान विधान सभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने मंगलवार को यहां विधानसभा में बटन दबा कर विधान सभा का आईओएस (आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम) आधारित मोबाइल एप लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा का एन्ड्रॉइड आधारित मोबाइल एप पूर्व में संचालित है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण धारक उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए यह एप जारी किया गया है। विधान सभा के इस एप में प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सत्र समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही के विवरण सहित विधानसभा के सदस्यों के उपयोग हेतु प्रक्रिया तथा कार्य

संचालन नियमावली व समाचार कतरनें भी उपलब्ध रहेंगी। इस एप में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परिचय भी उपलब्ध होंगे। शर्मा ने बताया कि नवीनतम तकनीक में अग्रणी राजस्थान विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से विकसित इस एप में विधान सभा के कार्य से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी जितेन्द्र कुमार वर्मा, विधानसभा के वरिष्ठ उप सचिव महेश चन्द्र शर्मा, मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ संग्रहण अधिकारी व कम्प्यूटीकरण के नोडल अधिकारी विनोद मिश्रा सहित विधान सभा सचिवालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारी उपस्थित थे।

## राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 13वां स्थापना दिवस मनाया 10 साल की नैना बनी एक दिन की बाल आयोग अध्यक्ष



### हिलव्यू समाचार

**जयपुर।** राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक बालिका नैना खंडापा को एक दिन का आयोग अध्यक्ष तथा अन्य बच्चों को सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष और सदस्य बने बच्चों ने आयोग की फुल कमीशन की बैठक का संचालन किया।

जिममेदारी सौंपी गई। इसके बाद आयोग की फुल कमीशन की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष बनी नैना ने फुल कमीशन की बैठक का संचालन किया। इस दौरान मौजूद आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और अधिकारियों ने बच्चों को आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इसके अलावा बच्चों ने आयोग के कार्यों को लेकर सवाल किए, जिनका जवाब दिया गया।

कार्यक्रम में एक दिन की अध्यक्ष बनी नैना ने आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के साथ स्थापना दिवस का केक भी काटा। इस मौके पर बच्चों को मिठाई भी वितरित की गई। वहीं, इस कार्यक्रम में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया गया। प्रतिवेदन में आयोग की ओर से किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है।

### बाल अधिकारों को मिली मजबूती

बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि आयोग की स्थापना से प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण को और मजबूती मिली है। मुझे भी इस आयोग से जुड़ने का गौरव मिला है और हम लगातार बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता कार्य कर रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहती है कि हर कार्यक्रम में बच्चों की सहभागिता हो जिससे आयोग द्वारा उनके लिए किए जा रहे कार्यों को के बारे में वे जान सकें। आयोग इस तरह की पहल करता रहा है और आगे भी बच्चों के लिए इस तरह के नवाचार जारी रहेंगे।

## कोविड सुरक्षा के साथ नारायण सेवा संस्थान द्वारा 23 शहरों में दिव्यांग कैंप आयोजित



### हिलव्यू समाचार

**जयपुर।** कोविड विषमताओं में भी दिव्यांग सेवा और कल्याण को निरंतर रखते हुए नारायण सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के शुरुआती दो माह में ही 23 शहरों में निशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित किए गए हैं। इन कैंप के माध्यम से 6781 लोगों का पंजीयन किया गया, जिनमें कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए 2836 लोगों को चिह्नित किया गया है और 921 को कैलिंग प्रदान किए गए हैं। नारायण सेवा संस्थान गरीब और दिव्यांग वर्ग के उत्थान को समर्पित हैं और भारत के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूक्रेन, यूके, यूएसए आदि देशों में कैंप के माध्यम से सहयोग प्रदान

कर रही है। 'कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और सर्जरी के माध्यम से हम दिव्यांग जनों को एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो धन या जागरूकता के अभाव उपचार नहीं पा सके। नारायण सेवा संस्थान ऐसे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की सहायता में निरंतर कार्य कर रहा है। कोरोना काल में भी इन्हे आवश्यक समाधान मिल सके इसके लिए कोविड सुरक्षा नियमों का ध्यान रखते हुए विभिन्न शहरों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं,' श्री प्रशांत अग्रवाल, अध्यक्ष नारायण सेवा संस्थान। उन्होंने बताया कि 2021 में अब तक 2836 लोगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए और 749 को सर्जरी के लिए चिह्नित किया गया है। आगामी दिनों में इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। वर्ष 1997 में स्थापना के बाद से नारायण सेवा संस्थान द्वारा अपने अब तक 427350 दिव्यांगजनों को सशक्त किया गया है। वर्ष 2017 से संस्थान कोरोनियल सर्जरी के माध्यम से 61026 जन्मजात दिव्यांगों की सहायता कर चुका है। आगामी दिनों में संस्थान इस सेवा प्रक्रिया में और वृद्धि के लिए प्रयासरत है। संस्थान द्वारा कोरोनियल सर्जरी की संख्या में 15 प्रतिशत, और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण में 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जा रही है।

## जयपुर नगर निगम एक जुलाई से नहीं दिखेंगे प्लास्टिक के पतल-दोने

**हिलव्यू समाचार**  
**जयपुर।** 4 महीने बाद आपको शादी या अन्य समारोह में प्लास्टिक के बने दोने-पतल में भोजन करते हुए लोग नहीं दिखेंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के आइटम को सरकार इस साल से पूरी तरह बान करने जा रही है। केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय 100 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक के बने तमाम उपयोगी सामान जैसे पॉलीथिन, गिलास, कांटे-चम्मच, कप, प्लेट समेत तमाम चीजों के उपयोग पर 1 जुलाई से बान करने का निर्णय किया है। निगम ने इस संबंध में एक आज एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी व्यापारियों और संस्थाओं को इसका स्टॉक जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहा है। केन्द्र सरकार की ओर से जो रोक लगाई गई है उसमें मोबाइल फोन में लगाने वाली लीड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक झंडों, कैडी स्टीक, प्लास्टिक से बनी आइसक्रीम की डंडिया, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के बैनर-पोस्टर हैं। इसके अलावा कटलरी, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली सजावटी पत्रियां, कप, प्लेट, गिलास, कांटे-चम्मच, चाकू, स्टो, सिगरेट और निमंत्रण कार्ड के पैकेट इस कैटेगिरी में शामिल हैं। नगर निगम जयपुर की ओर से सभी व्यापारियों और स्टॉकिस्ट को उनके यहां जो सामान बचा है उसे इस साल 30 जून तक उपयोग करने या बेचने के निर्देश दिए हैं। साथ इन आइटम की नई खरीद पर रोक लगाने के लिए कहा है, ताकि 30 जून तक बचा स्टॉक खत्म किया जा सके। 1 जुलाई से सरकार ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

## विप सेना और सोबर ने किया विप विभूतियों का सम्मान गहलोट सरकार विप कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: डॉ. महेश जोशी

### हिलव्यू समाचार

**जयपुर।** प्रदेश के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश की गहलोट सरकार ब्राह्मण समाज के उत्थान और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पबद्ध है। यही कारण है कि प्रदेश में पहली बार विप कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए विप जन अपने युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए प्रेरित करें और समाज उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देकर अपना दायित्व निभाए। जोशी पारिक कॉलेज परिसर में विप सेना और ब्राह्मण एक्जीक्यूटिव्स राजस्थान, (सोबर) की ओर से मंगलवार को आयोजित आभार-अभिन्नंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं गुजरात



कांग्रेस प्रभारी डॉ रघु शर्मा ने की। प्रदेश में पहली बार विप कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसके लिए विप सेना और सोबर ग्रुप ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोट का भी आभार व्यक्त किया। विप सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी तथा सोबर अध्यक्ष डॉ शिव गौतम ने बताया कि पारिक कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में

विप कल्याण बोर्ड के प्रथम नवनियुक्त अध्यक्ष पं. महेश शर्मा तथा उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू शर्मा के अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पं. वृजकिशोर शर्मा, राज. आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड अध्यक्ष पं. अनिल शर्मा, युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक, श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष पं. अजित कुमार शर्मा, राज. आर्थिक विशेष योग्यजन आयोग के आयुक्त पं. उमाशंकर शर्मा, राज. गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित, राज. पशुधन विकास बोर्ड उपाध्यक्ष पं. चुनीलाल राजपुरोहित को सम्मानित किया गया। सोबर महासचिव आर सी शर्मा ने बताया कि इसी अवसर पर पिछले वर्ष राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित ब्राह्मण युवाओं को भी सम्मानित किया गया।

## सीके बिरला हॉस्पिटल के सीनियर पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉ. संजीव शर्मा ने बताया

# खून का कम होता दौरा, बढ़ता है पैरों में परेशानी

### सरल उपचार से पा सकते हैं निजात

### हिलव्यू समाचार

**जयपुर।** खून का दौरा शरीर में अपना अलग महत्व रखता है। इसके कम या 'यादा होने से कई तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। कुछ मरीज जो मधुमेह यानी डायबिटीज से ग्रसित होते हैं, जिन्हें बीपी की परेशानी होती है। जो धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें खून का दौरा पैरों में कम होना चालू हो जाता है। इस कम होते खून के दौर पर ध्यान न दिया जाए तो यह आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है।



घटता है खून का दौरा: सीके बिरला हॉस्पिटल के सीनियर पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि ऐसे मरीजों में खून का दौरा पैरों में कम होने लगता है। इस कारण से शुरुआती दौर में चलते समय पैरों में दर्द या पीड़ा महसूस होती है। इसका कारण यही है कि खून सही तरीके से पैरों में प्रवाहित नहीं हो पाता है, दौरा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पैरों में दर्द महसूस होता है। जब भी वो चलते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है क्योंकि खून

का पूरा दौरा उनके पैरों में नहीं पहुंचता जैसे ही वो बैठते हैं तो तुरंत उन्हें आराम मिल जाता है। इस स्थिति को इंटिमेंट क्लाउडिकेशन को प्रॉब्लम कहते हैं। धीरे-धीरे बीमारी बढ़ जाती है: इस परेशानी को अनदेखा करते रहते हैं तो ये बीमारी आगे और बढ़ती है तो खून का दौरा और कम होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे करके पैरों के पंजों में लगातार दर्द बना रहता है जिससे मरीज की परेशानी बढ़ जाती है। इसके बाद धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में घाव होना या कालापन, गैंगरीन जैसी समस्या देखने को मिलने लगती है। ऐसे मरीजों में अगर किसी एक जगह पर कोई ब्लॉक मिलता है तो उसे ऑपरेशन करके हटाया जा सकता है। परक्यूटेनियस लम्बर सिंथेटीमी से कारगर इलाज: ऐसे मरीजों में 90 प्रतिशत केंसों में एक निष्पत्ति पर न मिलकर कई जगहों पर नस ब्लॉक हो जाती है और खून का दौरा कम हो जाता है। डॉ. संजीव ने बताया कि ऐसी स्थिति में सामान्य

ऑपरेशन करना सही विकल्प नहीं होता है। ऐसे केंसों में खून का दौरा पंजे या अंगुठे तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए एक खास तरह के ट्रीटमेंट को अपनाने हैं जिसे परक्यूटेनियस लंबस सिंथेटीमी प्रोसिजर कहा जाता है। फ्लोरोस्कोपिक मशीन आती है काम: इसमें प्रोसीजर में हम फ्लोरोस्कोपिक मशीन से देखते हुए सिंथेटिक स्पलाई पहुंचाने वाली नसों का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम मशीन से देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे खून का दौरा नीचे पंजे की तरफ बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि खून का दौरा पूरे पंजे और उंगलियों में बढ़ जाता है और एक नीलापन या सफेदपन आने लग गया था वो ठीक होने लगता है। पैरों के हाथ लगाने में दर्द होता था, जो जलन सी महसूस होती थी, वह भी कम हो जाती है। इनड्रनाइट कम हो जाती है। कोई घाव होता है तो वो भी भरना चालू हो जाता है और थोड़ा बहुत गैंगरीन भी ठीक होने लग जाता है।

## अजीत कुमार सक्सेना ने जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया

### हिलव्यू समाचार

**जयपुर।** राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना में अजीत कुमार सक्सेना ने सोमवार 21 फरवरी, 2022 को जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। अजीत कुमार सक्सेना पूर्व में

जयपुर डिस्कॉम में निदेशक तकनीकी एवं मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही सक्सेना को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने का 37 वर्ष का अनुभव है। पदभार ग्रहण करने के उपरान्त अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, विद्युत दुर्घटनाओं को शून्य करने के लिए विशेष प्रयास एवं सौ फीसदी राजस्व वसूली सहित उपभोक्ताओं को वर्तमान में मिल रही सेवाओं को और बेहतर करने तथा उनकी विद्युत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फील्ड में अधिकारी एवं कर्मचारी टीम भावना से कार्य करें एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता से निराकरण करें। उपभोक्ताओं से सामंजस्य करके समन्वित प्रयास से लॉसेज को कम करते हुए शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास करें। अजीत कुमार सक्सेना की जयपुर डिस्कॉम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर हुई नियुक्ति का निगम के अभियन्ताओं, अधिकारियों और कर्मियों ने स्वागत किया।



